

2-9-22 पत्रावली पेश हुई/ वकील अपीलान्त अनुपास्त



वकील अपीलान्त को बार बार आवेज लगाई गई/ आवेज लगे लगे बाबजुद वकील अपीलान्त दाजिर नहीं हुई।

अतः दिनांक 27-3-2015 को जारी स्थगन अपारस्त किया जाता है। एवं अपील अपीलान्त अदालत परकी अदालत दाजिरी इली स्तर पर खारिज की जाती है। निष्पत्ति स्पष्ट अधीनस्थ न्यायलय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फौजदारी दरतीन तक प्रति - नम्बर से कर दी कर दाखिल दफ्तर हो।

आदेशा मुते न्यायलय से सुनाया गफ



अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगानगर जिला - गंगानगर